न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 16 / 2025(GCMS : 2025/20)

भारतीय स्टेट बैंक शाखा नई धान मंडी, हनुमानगढ़ टाउन जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री एल.एन. सामरिया, मुख्य प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा (SARB) तृतीय तल, मेट्रीक्स मॉल, जवाहर नगर, जयपुर (राज.)

बनाम

M/s K L KRSAKA PRIVATE LIMITED C/o दुकान नं. 7, टाउन–जंक्शन रोड़, नजदीक बाबा सूखा सिंह मेहताब सिंह गुरूद्वारा, हनुमानगढ़ टाउन (राज.) 335513

1. **श्रीमती सोनू पत्नी श्री सुरेन्द्र पाल ढाका (डाइरेक्टर)**
   (a) मकान नं. 205–के, वीपीओ–ततारसर (31जीजी), जिला श्रीगंगानगर (राज.)–335022
   (b) वार्ड नं. 21, नजदीक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नजदीक भटनेर किला रोड़, जवाहर नगर, हनुमानगढ टाउन (राज.) 335513
2. **श्रीमती सरोज कजला पत्नी श्री विजय पाल ढाका (डाइरेक्टर)** निवासी मकान नं. 205–के, वीपीओ ततारसर (31 जीजी), जिला श्रीगंगानगर (राज.) 335022
3. **श्रीमती सोनू पत्नी श्री सुरेन्द्र पाल ढाका (जमानती)**
   (a) मकान नं. 205–के, वीपीओ–ततारसर (31जीजी), जिला श्रीगंगानगर (राज.)–335022
   (b) वार्ड नं. 21, नजदीक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नजदीक भटनेर किला रोड़, जवाहर नगर, हनुमानगढ टाउन (राज.) 335513
4. **श्रीमती सरोज कजला पत्नी श्री विजय पाल ढाका (जमानती)** निवासी मकान नं. 205–के, वीपीओ ततारसर (31 जीजी), जिला श्रीगंगानगर(राज.) 3351022
5. **श्रीमती लीलावती पत्नी श्री किशन लाल (जमानती) (बंधककर्त्ता)** निवासी मकान नं. 205–के, वीपीओ ततारसर (31 जीजी),जिला श्रीगंगानगर (राज.) 335102

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:43:05 IST
Reason: SelfAttested

05.02.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिकृता श्री भारत भूषण महेन्द्रा एवं सुमनदीप सिंह ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 16.01.2025 प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थी M/s K L Krasaka Pvt. Ltd. डायेरेक्ट सोनू व सरोज एवं सोनू, सरोज और लीलावती को ऋण सुविधा के रूप में 1.02/– करोड़ रूपये ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 28.08.2023 को प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 22.07.2024 को 73,15,729/– रूपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी द्वारा बंधक रखी अपनी सम्पत्ति Hypothecation on the stocks, Receivables & other current Assets of the firm kept at business place and elsewhere तथा अचल रिहायशी सम्पत्ति प्लॉट नं. 4, वार्ड नं. 12, अनूपगढ़ (राज.) (क्षेत्रफल 50' गुणा 40' = 2000 वर्गफुट), जो कि श्रीमती लीलावती के नाम से है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण** M/s K L Krasaka Pvt. Ltd. डायेरेक्ट सोनू व सरोज एवं सोनू, सरोज और लीलावती को ऋण सुविधा के रूप में 1.02/– करोड़ रूपये **(अखरे रूपये एक करोड़ दो हजार मात्र) की स्वीकृति दिनांक 28.08.2023 को प्रदान की थी और** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ने अपनी सम्पत्ति **Hypothecation on the stocks, Receivables & other current Assets of the firm kept at business place and elsewhere तथा अचल रिहायशी सम्पत्ति प्लॉट नं. 4, वार्ड नं. 12, अनूपगढ़ (राज.) (क्षेत्रफल 50' गुणा 40' = 2000 वर्गफुट), जो कि श्रीमती लीलावती के नाम से है,** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:43:05 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 04.04.2024 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक/प्राप्ति रसीद पत्रावली में उपलब्ध नहीं है, जिसके अनुसार समस्त अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील नहीं हुई है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी की सम्पत्ति Hypothecation on the stocks, Receivables & other current Assets of the firm kept at business place and elsewhere तथा अचल रिहायशी सम्पत्ति प्लॉट नं. 4, वार्ड नं. 12, अनूपगढ़ (राज.) (क्षेत्रफल 50' गुणा 40' = 2000 वर्गफुट), जो कि श्रीमती लीलावती के नाम से है,, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:43:05 IST
Reason: SelfAttested

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 22.07.2024 की तामील का प्रश्न है, प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 22.07.2024 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

नोटिस, अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 23.07.2024 को भिजवाये गये थे, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक/प्राप्ति रसीद पत्रावली में उपलब्ध नहीं है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को 13(2) के नोटिस प्राप्त हुए है अथवा नहीं?, का पता नहीं चलता है। इसलिए प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) नोटिस अप्रार्थीगण की सम्पत्ति पर दिनांक 30.07.2024 को चस्पा कर दो समाचार पत्रों इण्डियन एक्सप्रैस एवं सीमा संदेश में दिनांक 01.08.2024 को प्रकाशित करवाये है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई **Hypothecation on the stocks, Receivables & other current assets of the firm kept at business place and elsewhere** तथा अचल रिहायशी सम्पत्ति प्लॉट नं. 4, वार्ड नं. 12, अनूपगढ़ (राज.) (क्षेत्रफल 50' x 40' = 2000 वर्गफुट), जो कि श्रीमती लीलावती के नाम से है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:43:05 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:43:05 IST
Reason: SelfAttested